राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड : संरचनात्मक- प्रकार्यात्मक विश्लेषण

*डॉ. शक्ति सिंह शेखावत
**आशीष शर्मा

शोध सारांश

खादी से तात्पर्य हाथ से कता व हाथ ही से बुना गया वस्त्र होता है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय खादी को स्वावलम्बन व स्वराज्य से जोड़ा गया जो दरिद्रनारायण के लिए सम्मानपूर्ण काम, भोजन व वस्त्र मुहैया कराता है तथा जनता में स्वराज्य प्राप्ति के लिए व्यापक चेतना उत्पन्न करता है। इसीलिए गाँधीजी ने चरखे को ग्रामीण पुनर्निमाण का आधार अहिंसा व मानव श्रम के महत्व का प्रतीक माना । राजस्थान में राज्य विधानसभा द्वारा राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 पारित कर बोर्ड की स्थापना की गई। यह बोर्ड राज्य में खादी व ग्रामोद्योग से सम्बन्धित नीतियों के निर्धारण एवं उनके क्रियान्वयन के लिए निरन्तर कार्य कर रहा है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य में खादी वस्त्रों का उत्पादन करने, उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने, कीमतों को नियंत्रित करने, बिक्री बढ़ाने, निर्यात करने आदि सभी क्षेत्रों में खादी संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने में निरन्तर अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। प्रस्तुत शोध में राजस्थान में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक पहलुओं का विशेष रूप से विश्लेषण किया जायेगा साथ ही यह भी विश्लेषित करने का प्रयास किया जायेगा की बोर्ड की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक स्थिति इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल रही है। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने हेतु समस्यागत आयामों के निदानात्मक उपायों की खोज की गई है ताकि वैश्वीकरण के दौर में खादी को ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सके जिससे आत्मनिर्भर भारत संकल्पना सिद्ध हो सके।

संकेताक्षर: ग्रामीण पुनर्निमाण, खादी, संरचना, प्रकार्य, प्रशासनिक ढांचा, खादी कार्यक्रम

परिचयात्मक

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने स्वतंत्रता संघर्ष ने विजय प्राप्त करने हेतु स्वदेशी पर बल देते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम पर बल दिया था । उन्होंने कहा कि 'खादी की विशेषता है कि जहाँ वह उत्पन्न की जाती है वहाँ उत्पादकों द्वारा ही उसका इस्तेमाल भी होने योग्य भी वह है। अगर लाखों व्यक्ति इसमें

सहयोग दें तो इससे सम्भवतः एक जबर्दस्त शक्ति पैदा होगी जो दरिद्रनारायण के लिए सम्मानपूर्ण काम, भोजन और वस्त्र मुहैया करायेगा। इससे जनता में स्वराज्य प्राप्ति के लिए व्यापक चेतना और अहिंसात्मक शक्ति पैदा हुए बिना नहीं रह सकती[1]।" अतः महात्मा गाँधी ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के कार्यक्रम के साथ-साथ चरखे को भी अपनाया और इसे नया रूप देने के अथक प्रयत्न के परिणामस्वरूप 1926 से अखिल भारतीय चरखा संघ के नीति-निर्देशों के अन्तर्गत गोविन्दगढ़, बिजौलिया, अजमेर आदि में कार्य प्रारम्भ हुआ। सन् 1948 में अखिल भारतीय चरखा संघ का कार्य विकेन्द्रित किया गया जिसमें राजस्थान में खादी संस्थाओं के माध्यम से सर्वप्रथम खादी विकास मण्डल मलिकपुर (गोविन्दगढ़) व तत्पश्चात् राजस्थान खादी संघ के द्वारा कार्य का निरन्तर विकास किया गया । स्वतन्त्रता के पश्चात् से राजस्थान अन्य प्रान्तों की तुलना में गुणात्मक दृष्टि से प्रमुख खादी उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आ गया है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी योजना में तीन प्रकार की खादी का उत्पादन किया जाता है- सूती खादी, ऊनी खादी और रेशमी खादी।

राजस्थान में खादी कार्यक्रम

राजस्थान में रेशम उत्पादन न होने के कारण रेशमी खादी की संभावनाएँ क्षीण हैं तथापि ऊन उत्पादन का विशाल क्षेत्र होने से ऊनी खादी के विकास की सम्भावनाएँ अत्यधिक हैं। पूरे देश में उत्पादित होने वाली ऊनी खादी में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान का है। राजस्थान में ऊनी खादी का उत्पादन मुख्यतः बीकानेर, बाड़मेर जोधपुर व जैसलमेर में होता है। ऊनी खादी के साथ-साथ पॉली ऊनी मिक्स खादी का उत्पादन भी वर्तमान में ऊनी खादी संस्थाओं द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है जो कि गुणवत्ता की दृष्टि से मज़बूत एवं देखने में लुभावना होता है। राजस्थान में सूती खादी का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। गोविन्दगढ़, चौमूं सीकर, झुंझनू अजमेर, लालसोट, दौसा, बस्सी, भरतपुर, बयाना आदि सूती खादी के मुख्य केन्द्र हैं। झालावाड़ स्थित विनोबा सेवा समिति में मुख्यतः पॉली खादी का उत्पादन किया जाता है। पॉली खादी में 33 प्रतिशत पॉलिस्टर तथा 67 प्रतिशत सूत होता है।

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ, बजाज नगर, जयपुर में स्थित संगठन राजस्थान में कार्यरत सभी खादी उत्पादन व बिक्री करने वाली संस्थाओं का समवर्ती संगठन है, जो मुख्य रूप से खादी संस्थाओं के कार्यों में आने वाली बाधाओं एवं उनके निराकरण पर विचार-विमर्श कर राज्य खादी बोर्ड एवं खादी आयोग को तदानुसार नीतियाँ बनाने हेतु अनुरोध करता है। इसके अतिरिक्त संस्था संघ ऊनी खादी की फिनिशिंग विशेष रूप से ऊनी कम्बलों की फिनिशिंग तथा रजाई एवं सूती कपड़ों की रजाई इत्यादि की फिनिशिंग का कार्य भी करता है[2]। राजस्थान में खादी उत्पादन की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए तथा अधिक उत्पादन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र भी हैं जो कि राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित किये जा रहे

हैं[3]- सांगानेर प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र माउन्ट आबू व पुष्कर प्रशिक्षण केन्द्र। इन प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान खादी संघ के मार्फत शिवदासपुरा, जयपुर में भी एक प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किया जा रहा है जिसमें सूती खादी, ऊनी खादी, रंगाई छपाई तथा ग्रामोद्योगों जैसे साबुन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, फल प्रशोधन, बेकरी उद्योग, पापडबडी मेकिंग, मोटर बाइण्डिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

किसी भी संस्था की सफलता एवं निरन्तरता में संगठन का महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी भी संस्था के विभिन्न विभागों व उप विभागों, कार्य एवं क्रियाओं का समन्वय संगठन द्वारा पूर्ण होकर उसकी कार्यकुशलता बढ़ाता है। अतः किसी भी संस्था के प्रशासनिक अध्ययन हेतु उसके संगठनात्मक स्वरूप का अध्ययन आवश्यक है । शोध का विषय राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु खादी तथा ग्रामोद्योगों के संचालन हेतु स्थापित संस्था है। इस संस्था का व्यवस्थित संगठनात्मक स्वरूप विकसित किया गया है[4]।

संगठनात्मक स्वरूप

राजस्थान में राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन राज्य विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अप्रैल, 1955 में किया गया था। जिसके अन्तर्गत "खादी" से तात्पर्य हथकरघा से भारत में बने हुए ऐसे कपड़ों से है जो हाथ से काते हुए धागे से बुना गया हो। ग्रामोद्योग के अन्तर्गत ऐसे उद्योग सम्मिलित हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड समय-समय पर सिफारिश करे तथा जो बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योग श्रेणी में सम्मिलित की जाये। यह बोर्ड, ऐसा निगम निकाय होता है जिसे शाश्वत अधिकार प्राप्त होता है, जिसकी सामान्य मोहर होती है, जिसे स्थावर एवं जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने हस्तान्तरित करने, संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी कार्य करने की शक्ति होती है, और उक्त नाम से अपने सचिव द्वारा दावा कर सकता है तथा उसके विरूद्ध दावा किया जा सकता है। अतः इस संगठन का पृथक कानूनी अस्तित्व होता है।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट होता है कि इसकी संगठनात्मक व्यवस्था विकास का परिणाम है,दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इसकी स्थापना से लेकर वर्तमान तक इसकी संगठनात्मक व्यवस्था में अनेक परिवर्तन हुए हैं। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की

धारा 8 (क) एवं 9 के अन्तर्गत सचिव तथा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है । बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा निम्नानुसार है[5]-

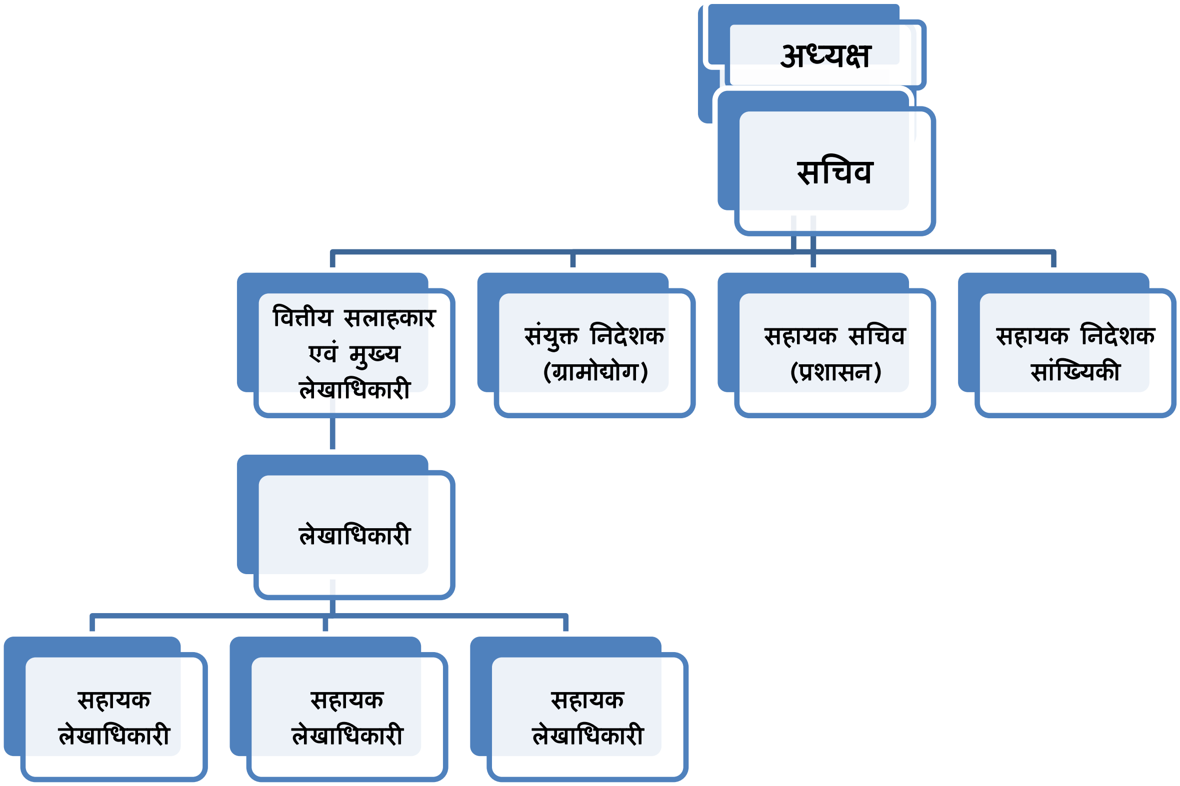

आरेख 1 : राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा

बोर्ड में अध्यक्ष के अतिरिक्त 12 सदस्य होते है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते है, जिसमे कम से कम 8 गैर सरकारी सदस्य होते है। जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। वर्तमान में अध्यक्ष पद रिक्त है । राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 24 (26) उद्योग / ग्रुप-2 / 1972 जयपुर दिनांक 18.07.2019 के द्वारा राज्य सरकार के विधिवत रूप से बोर्ड का गठन होने तक खादी बोर्ड के अध्यक्ष के कार्य निस्तारण तथा शक्तियों के उपयोग हेतु प्रमुख शासन सचिव (एम.एस.एम.ई.) को प्राधिकृत किया गया है।[6]

बोर्ड के व्यवासायिक केन्द्र

- 'ग्राम्या' खादी हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम पांच बत्ती, जयपुर
- संकुल खादी हैण्डीक्राफ्ट एम्पोरियम् मानसरोवर, जयपुर
- ऊन अनुभाग, बाडमेर
- ऊनी उत्पत्ति केन्द्र, बीकानेर

बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र

- प्रशिक्षण केन्द्र, पुष्कर (अजमेर)
- प्रशिक्षण केन्द्र, सांगानेर (संकुल मानसरोवर, जयपुर)
- प्रशिक्षण केन्द्र माउन्ट आबू (सिरोही)

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उद्देश्य[7]

- खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना
- कार्यक्रम संगठित करना और उनकी क्रियान्विति करना
- निम्न आय वर्ग के लोगों एवं कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
- कारीगरों को प्रशिक्षण देना
- कच्चे माल की व्यवस्था तथा तैयार माल का विपणन करना
- कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना, आदि

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रकार्य

खादी कार्यक्रम

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के निर्देशन में वर्ष 2018-2019 में खादी क्षेत्र में राज्य में 223 संस्थाओं / समितियों को अनुदानित किया गया। वर्ष 2018-2019 में कार्यरत खादी संस्थाओं / समितियों की संख्या 145 है[8]। खादी संस्थाओं / समितियों को कार्य संचालन, उत्पादन की शुद्धता व गुणवत्ता बनाये रखने तथा अपने क्षेत्र के विकास करने हेतु बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न परियोजना, कार्यकम के माद्यम से सशक्त किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

लघु खादी परियोजना : खादी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2007-08 से

"फैशन फॉर डवलपमेंट : ए न्यू खादी इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की गई, जिसे वित्तीय वर्ष 2011-12 से संशोधित कर लघु खादी परियोजना शुरू की गयी । इस योजना में कार्यशील पूंजी का भी प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत एकल संस्था को लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2014-15 में योजना में आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक संस्था को पूंजीगत व्यय हेतु राशि रु. 15.00 लाख का अनुदान एवं राशि रु. 10.00 लाख कार्यकारी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक 27 खादी संस्था / समितियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

उन्नत तकनीक डाईग (रंगाई) परियोजना : राज्य की खादी संस्था / समितियों को अपनी आधुनिक मशीनों से तैयार उत्पादन को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए रंगाई के माध्यम से नये डिजाईन डवलप करना, पक्के, मल्टीकलर, आकर्षक रंगों तथा बाजार की प्रतिस्पर्द्धा अनुरूप कपड़ा उत्पादन करने तथा नई तकनीक से खादी को जोड़ने हेतु वर्ष 2019-20 से **उन्नत तकनीक डाईग (रंगाई) परियोजना** शुरू की गई है। वर्ष 2019-20 में इस हेतु राशि रूपये 50.00 लाख प्रावधान किया गया है, जिसमे से 2 खादी संस्था /समिति को सहायता प्रदान की जावेगी । इस परियोजना में निर्धारित पूंजीगत व्यय कुल राशि 29 लाख में से 25 लाख बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाए जायेंगे। जबकि कार्यशील की व्यवस्था संस्था स्वयं अपने स्तर पर या खादी विकास फण्ड योजना से नियमानुसार राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड से मांग सकेगी।

खादी भण्डार नवीनीकरण कार्यक्रम : राज्य बोर्ड द्वारा खादी वस्त्रों के उत्पादन और - विशेषतः बिक्री हेतु स्वयं के बिक्री भण्डार केन्द्र खोले गये हैं । खादी बिक्री के क्षेत्र में संस्थाओं/समितियों के माध्यम से जिला एवं कस्बा स्तर पर खादी भण्डार आरम्भ किये हुए हैं। जहाँ भण्डार नहीं हैं, वहाँ प्रतिवर्ष संस्थाओं/समितियों को प्रोत्साहित कर नये भण्डार खोले जा रहे हैं। राज्य बोर्ड द्वारा पुराने खादी भण्डारों का नवीनीकरण किया जा रहा है। वर्ष 2006-07 में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ किया गया था जिसमें बोर्ड द्वारा खादी भण्डारों के नवीनीकरण के लिए अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2019-20 तक 155 खादी ग्रामोद्योग भण्डारों का नवीनीकरण हो चुका है[9]। इस कार्यक्रम से नवीनीकृत हुये खादी भण्डारों की वार्षिक बिक्री में औसत रूप से 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

खादी विकास फण्ड योजनाः बोर्ड द्वारा वर्ष 2013-14 में खादी विकास फण्ड योजना की शुरुआत गई थी इस योजना के अंतर्गत खादी संस्थाओं / समितियों को कच्चा माल क्रय करने व कत्तिन बुनकरों को पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राशी ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है, जिसे 2 वर्ष पश्चात् छःमाही 18 किश्तों में वापस करना होता है । इस ऋण की अधिकतम सीमा

10.00 लाख निर्धारित की गई है। वर्ष 2018-19 तक 63 खादी संस्था / समितियों इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी है।

उत्पादन एवं रोजगार : राजस्थान जो कि कृषि व पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था है तथा आये दिन अनावृष्टि की वजह से बेरोजगारी की मार सहता है, ऐसे में खादी उत्पादन रोजगार की विपुल संभावनाएँ प्रदान करता है। राजस्थान में सरकार द्वारा चलाये जा रहे खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संस्थाओं द्वारा खादी उत्पादन तथा इस उद्योग से रोजगार प्राप्त कर रहे व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है[10]-

सारणी-1

खादी इकाईयों द्वारा किया गया उत्पादन एवं प्रदत्त रोजगार[22]

वर्ष	उत्पादन (लाख रू. में)			रोजगार सं. (स्तर)
	ऊनी खादी	सूती खादी	योग	
2017-18	1181.07	4233.50	5414.57	13581
2018-19	1214.58	4830.68	6045.26	21519
2019-20 (दिसंबर, 2019 तक)	792.86	1631.68	2424.54	6671

वस्तुतः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में खादी व ग्रामोद्योग रोजगार का सबसे बड़ा साधन है तथा राजस्थान में इस क्षेत्र के विकास की संभावनाएँ अधिक हैं।

खादी बिक्री / प्रोत्साहन कार्यक्रम

रिबेट : खादी की बिक्री को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी उत्पादन पर विपणन विकास सहायता योजना अन्तर्गत खादी की बिक्री पर रिबेट स्वीकृत करती है। वर्ष 2019-20 में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री 02.10.2018 से 01.10.2019 तक 5 प्रतिशत एवं 02.10.2019 से 28.02.2020 तक 35 प्रतिशत की दर से छूट की घोषणा की गई है[11]। 1 अप्रेल, 2019 से दिसम्बर, 2019 तक कुल बिक्री 74.44 करोड हुई है एवं वर्ष 2019-20 में रिबेट के लिये 17.50 करोड का बजट प्रावधान रखा गया है । 01 मार्च 2019 से 01 अक्टूबर 2019 तक राशि रू. 84.82 लाख के रिबेट क्लेम प्राप्त हुए है[12]।

प्रचार प्रसार : खादी ग्रामोद्योग के प्रचार-प्रसार हेतु राज्य सरकार के आयोजना बजट से राशि मिलती रही है। इस राशि से समाचार पत्रों / स्मारिकाओं के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करवाकर तथा राजस्थान राज्य

पथ परिवहन निगम की दुतगामी बसों के पैनल पर शहर की सिटी बसों पर, जयपुर रेल्वे स्टेशन पर क्लोज टी.वी. सर्किट तथा दूरदर्शन व आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में आयोजित मेलों में भी भाग लेकर खादी उत्पाद एवं ग्रामोद्योगों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया है। बोर्ड द्वारा जिलों में लगने वाले नियमित हाट बाजारों में पूर्ववर्ती वर्षों में भाग लेकर भी ग्रामोद्योग वस्तुओं की बिक्री की गई है। राज्य की पंचायत समितियों एवं जिला उद्योग केन्द्र कार्यालयों पर साईन बोर्ड लगवाकर भी बोर्ड की योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया गया है[13]।

राज्य में उत्पादित खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की एक निर्धारित ब्राण्ड के अन्तर्गत बिक्री करने के उद्देश्य से "राजस्थान खादी" के "लोगो" को लोकार्पित किया जा चुका है और जिसके अन्तर्गत राज्य में उत्पादित सभी खादी ग्रामोद्योग उत्पादों को ब्राण्डेड करने के प्रयास किये जा रहे है साथ ही बैनर, होर्डिंग्स, फोल्डर व ब्रोशर इलेक्ट्रानिक मीडिया एफ.एम. रेडियो चैनल्स, पत्र पत्रिकाओं तथा सोशल मीडिया आदि के द्वारा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों एवं योजनाओं का प्रचार प्रसार समय समय पर किया जाता रहा है[14]। प्रचार प्रसार पर वर्ष 2019-20 (दिसम्बर 2019 तक) कुल राशि 28.28 लाख रूपये का व्यय किया जा चुका है एवं 30.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई है जिसका कार्य पूर्ण होने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा[15]।

खादी ग्रामोद्योग उत्पादों में गुणवत्ता सुधार : खादी में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत **राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड** द्वारा प्रसिद्द फैशन डिजाइनरों से मॉडर्न डिजाइन व कलर संयोजन में सूती व ऊनी खादी के परिधानों की श्रृंखला तैयार करवाकर उनके "लेबल" के साथ बिक्री हेतु उपलब्ध कराया गया है। खादी पर हैण्डब्लाक प्रिन्टिंग, आधुनिक डिजाईन्स के परिधानों के प्रोटोटाईप्स विकसित कराने का कार्य खादी गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत टेलरिंग स्किल डवलपमेन्ट में खादी संस्थाओं / समितियों / इकाईयों और खादी ग्रामोद्योग भण्डारों के बिक्री अभिकर्त्ताओं एवं पदाधिकारियों आदि को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है[16]।

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ : राज्य में उत्पादित खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादो के अन्तर्राष्ट्रीय प्रर्दशनियों में प्रचार-प्रसार व बिक्री-सवंर्द्धन हेतु राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा भारत सरकार के उपक्रम इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आरगनाईजेशन व खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से प्रायोजित किया जाता है। खादी आयोग द्वारा भी खादी ग्रामोद्योगी संस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पेशेवरों और विशेषज्ञों की सलाहकारीय सेवाएं लेना : बोर्ड द्वारा खादी वस्त्रों के निर्माण, उनमें नयी-नयी डिजाइनों के प्रयोग खादी वस्त्रों के फैशन शो करवाने आदि के लिए विषय पेशेवरों और विशेषज्ञों यथा इन्टीरियर डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स,आर्किटेक्चर, टैक्सटाइल डिजाइनर्स, प्रबन्धकीय विशेषज्ञ, कम्प्यूटर

फोटो शॉप डिजाईनिंग ऑपरेटर आदि की सलाहकारीय सेवाएं रिटेनरशिप के आधार पर अनुबंधित करने का प्रावधान किया गया है।

खादी इकाईयों द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन :- राज्य बोर्ड द्वारा जन-जन तक खादी वस्त्र पहुँचाने, खादी को लोकप्रिय बनाने व बिक्री बढ़ाने के लिए राज्य के विभिन्न भागों / जिलों में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों की राष्ट्रस्तरीय, राज्य स्तरीय सम्भाग स्तरीय, जिला स्तरीय तथा अन्य प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाती हैं। विगत वर्षों में राजस्थान में दी ग्रामोद्योग आयोग, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ एवं खादी संस्थाओं के माध्यम से परस्पर समन्वय कर आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में हुई बिक्री निम्नानुसार है-

सारणी-2

खादी इकाईयों द्वारा प्रदर्शनी के दौरान हुई बिक्री[17]

वर्ष	राष्ट्रस्तरीय प्रदर्शनी	सम्भाग स्तरीय प्रदर्शनी	जिला स्तरीय	अन्य	योग (राशि लाख रुपये में)
2017-18	297.00	108.56	102.09	----	507.65
2018-19	330.00	152.00	73.92	8.10	564.02
2019-20	407.00	247.00	214.54	108.07	976.61

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्शनियों में होने वाली बिक्री में क्रमानुसार वृद्धि हो ही रही है। खादी वस्त्र तथा ग्रामोद्योग उत्पादों के प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रूझान बढ़ रहा है तथा राजस्थान में निर्मित उत्पादों की अन्य राज्यों में भी बिक्री बढ़ रही है।

खादी बिक्री प्रोत्साहन: वर्ष 2019-20 में खादी वस्त्रों / परिधानों के प्रति युवाओं व जनता में आकर्षण एवं रूचि पैदा करने हेतु खादी बिक्री प्रोत्साहन के तहत प्रत्येक 2500/- रूपये की एकमुश्त खादी वस्त्रों की खरीद पर गिफ्ट हैम्पर दिये जाने की योजना प्रारम्भ की गई है जिसके अंतर्गत कुल प्रावधित बजट राशि रू. 10.60 लाख के विपरीत दिसम्बर 2019 तक 4200 गिफ्ट हैम्पर वितरित किये जा चुके है[18]। वर्ष 2019-20 में खादी वस्त्रो / परिधानो का प्रदर्शन एवं प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रस्तरीय खादी मेला 2019 मे खादी फैशन शो का आयोजन दिनांक 28.12.2019 को रामलीला मैदान, न्यू गेट जयपुर में किया गया। इस फैशन शो का संचालन फैशन डिजाईन काउंसिल आफ राजस्थान, मानसरोवर जयपुर के द्वारा 30 मॉडल्स के रैम्प वॉक के द्वारा खादी परिधानों का प्रदर्शन किया गया[19]।

समस्यागत आयाम

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी क्षेत्र में संचालित कार्यक्रमों के सैद्धान्तिक विश्लेषण से कुछ समस्याएँ परिलक्षित हुई, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है[20]:-

खादी वस्त्रों का महँगा होना : खादी वस्त्र जहाँ एक ओर हाथ से कती व बुनी होने के कारण अन्य वस्त्रों की तुलना में महँगा होता है वहीं दूसरी ओर उसका रख-रखाव भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए यह आम आदमी की पहुँच से दूर होता जा रहा है।

नयी व आकर्षक डिजाइनों का अभाव : खादी वस्त्रों के पुराने घिसे-पिटे डिजाईन ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। खादी संस्थाएँ एवं समितियाँ फैशन डिजाइनर्स की नियुक्ति नहीं करती है जिससे खादी वस्त्रों में नये रंगों एवं आकर्षक डिजाइनों का अभाव होता है। यही कारण है कि ये वस्त्र बाजार में नित्यप्रति आने वाले डिजाइनिंग वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं।

प्रशिक्षण का अभाव : खादी क्षेत्र से जुडे कामगारों को प्रशिक्षण देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर इस क्षेत्र में लगे कामगार कम पढ़े-लिखे हैं जिसकी वजह से उन्हें नयी तकनीकों का ज्ञान नहीं होता है तथा उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार नहीं हो पाता है ।

कामगार सम्बन्धी समस्याएँ : खादी उत्पादन में लागत अधिक होने के बावजूद भी मजदूर की मजदूरी कम है जिससे मजदूर संतुष्ट नहीं हो पाता है। हाथ से बुने होने के कारण हर कामगार द्वारा निर्मित वस्त्र का ट्रेक्चर (बनावट) अलग-अलग होता है तथा कताई व बुनाई एक ही कामगार को करनी पड़ती है जबकि उसे प्रत्येक कार्य में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला होता है। इससे खादी वस्त्रों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

राजस्थान में घटिया किस्म की ऊन : यद्यपि राजस्थान में सम्पूर्ण देश की लगभग 40 प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है तथापि उसकी घटिया किस्म के कारण तैयार खादी वस्त्र खुरदरा व घटिया किस्म का होता है। मैरिनी ऊन से निर्मित वस्त्रों के बीच राजस्थानी ऊन से निर्मित खादी वस्त्र अपनी पहचान खो देता है।

बिक्री सम्बन्धी समस्या : खादी वस्त्रों की बिक्री हेतु आयोजित प्रदर्शनियाँ राज्य के प्रत्येक जिला व पंचायत समिति स्तर पर आयोजित नहीं की जाती है जिससे खादी वस्त्रों की गाँवों तक पहुँच नहीं बन पाती है। जिस समय खादी वस्त्रों पर रिबेट की सुविधा नहीं दी जाती है उस समय इनकी बिक्री नहीं होती है। इसके अलावा बिक्री के पुराने तरीके, सैल्समेन्स का ग्राहकों से रूखा व्यवहार, पुरानी दुकानें आदि खादी वस्त्रों की बिक्री के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं। बोर्ड के स्वयं के बिक्री भण्डारों की कमी तथा उनका घाटे में चलना भी प्रमुख समस्या है।

वेतनभोगी अधिकारी : खादी संस्थाओं के अध्यक्ष भी वेतनभोगी अधिकारी होते हैं जिससे वे पर्याप्त निष्ठा से खादी प्रोत्साहन के लिए प्रयास नहीं कर पाते हैं ।

सुझाव

खादी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं-

- खादी को आकर्षक बनाने तथा विविध रंगों में ढालने के लिए फैशन डिजाइनर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि वह ग्राहकों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त कर सके।
- खादी क्षेत्र से जुडे कामगारों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे नवीन तकनीकों का प्रयोग कर सकें और खादी की गुणवत्ता में निरन्तर वृद्धि हो सके।
- कॉस्ट चार्ट में सुधार होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार व्यक्तियों का शहरों की ओर पलायन रूक सके तथा उन्हें पर्याप्त पारिश्रमिक मिल सके।
- राज्य के प्रत्येक जिले व पंचायत समिति के स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए तथा प्रचार-प्रसार में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि खादी को गाँव-गाँव तक व जन-जन तक पहुँचाया जा सके।
- खादी बिक्री को प्रोत्साहन देने हेतु बोर्ड के बिक्री भण्डारों में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर तक उनकी स्थापना की जा सके तथा उनके प्रबन्ध में सुधार किया जाना चाहिए ।
- खादी बिक्री भण्डारों का नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा सैल्समेन्स को बिक्री प्रशिक्षण दिया जाना चाहिएबिक्री राशि में से सैल्समेन्स का हिस्सा निर्धारित करने से भी वे अधिक सक्रियता से कार्य करेंगे।
- खादी वस्त्रों की प्रदर्शनी ऑफ सीजन में भी लगाई जानी चाहिए ताकि ग्राहक आवश्यकतानुसार खरीददारी कर सके।

निष्कर्ष

इस प्रकार राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने अपनी पहल पर खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्र में विपणन से संबंधित गतिविधियों में सक्रियता लाने, उन्हें निजी क्षेत्र के उत्पादों के समक्ष अपनी गुणवत्ता प्रस्तुत करने, ग्राहकों में विश्वास पैदा कर आकर्षित करने तथा बिक्री बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाये हैं।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विविधतापूर्ण वस्त्रों की व्यापक प्रतिस्पर्धा के मध्य खादी की पहचान बनाए रखने हेतु राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड निरन्तर क्रियाशील है। राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा

प्रतिवर्ष खादी संस्थाओं व समितियों को ऋण व अनुदान दिया जाता है ताकि वे अपने क्षेत्र का विकास कर सके।

प्रस्तुत शोध में मूल रूप से राजस्थान में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक पहलुओं पर विशेष रूप से बल दिया है। इस अध्ययन के उद्देश्य का एक बिन्दू यह भी था कि बोर्ड की संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक स्थिति इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफल रही है। यद्यपि राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होने के पश्चात् भी आशान्वित सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाई। है।

इस शोध में इन्हीं उद्देश्यों को लेकर अध्ययन किया गया था और इस संदर्भ में खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव भी दिये गये हैं। वर्तमान के वैश्वीकरण के युग में जबकि खादी भी अनेक प्रकार के वस्त्रों एवं हैण्डलूम से प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति का सामना कर रही है व क्योंकि खादी प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन जनता से जुडी है तो यह आवश्यक हो जाता है कि इस क्षेत्र में केन्द्र एवं राज्य सरकारें इस प्रकार के मण्डल पद्धति के नये संगठनों के स्वरूपों की खोज करें जिससे कि यह मण्डल / बोर्ड पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता की उपलब्धि के कारण अन्य उद्योग धन्धों से इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में श्रेष्ठता से कुशल एवं श्रेष्ठ संगठन प्रमाणित हो।

***सहायक आचार्य,**
राजनीति विज्ञान विभाग
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, (जयपुर)
****सहायक आचार्य,**
बी.एन.डी. राजकीय कला महाविद्यालय,
चिमनपुरा, जयपुर

संदर्भ सूची

1. अवध प्रसाद, खादी तकनीक, (रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 1994) पृ017
2. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन, 2005-06, पृष्ठ संख्या 3
3. वार्षिक प्रतिवेदन, प्रवृत्तियाँ एवं प्रगति 2019-20, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर, पृष्ठ संख्या 9
4. अर्चना बंसल, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड: एक संरचनात्मक- प्रकार्यात्मक अध्ययन, शोध प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2004, पृष्ठ संख्या 30

5. वार्षिक प्रतिवेदन, प्रवृत्तियाँ एवं प्रगति 2019-20, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर, पृष्ठ संख्या 1
6. उपर्युक्त
7. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 2
8. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 3
9. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 4
10. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 5
11. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 6
12. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 7
13. उपर्युक्त
14. वार्षिक प्रतिवेदन, प्रवृत्तियाँ एवं प्रगति 2019-20, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर, पृष्ठ संख्या 7
15. उपर्युक्त
16. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 7
17. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 9
18. उपर्युक्त, पृष्ठ संख्या 10
19. उपर्युक्त
20. अर्चना बंसल, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड: एक संरचनात्मक- प्रकार्यात्मक अध्ययन, शोध प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, 2004, पृष्ठ संख्या260